सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण आख्या

जनपद–महोबा

दिनांक 21, 22 व 23 दिसम्बर, 2015

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से तीन सदस्यीय भ्रमण टीम डॉ कर्नल मनोज यदु, महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, श्री अरविन्द त्रिपाठी, परामर्शदाता, प्रशिक्षण एवं श्री अरविन्द सिंह, कार्यक्रम समन्वयक, मातृ स्वास्थ्य द्वारा चित्रकूट मण्डल के जनपद महोबा की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 21, 22 एवं 23 दिसम्बर, 2015 को किया गया है। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत है–

➢ जिला महिला चिकित्सालय महोबा–(एफ0आर0यू0)

- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अप्रैल से 20 दिसम्बर माह तक की अवधि में कुल 3165 प्रसव कराये गये जबकि 3165 प्रसव के सापेक्ष केवल 1887 लाभार्थियों का ही भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया था। प्रसव के उपरान्त यथाशीघ्र लाभार्थी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक रिकार्ड जैसे–लेजर, कैशबुक अद्यतन नही पाये गये। पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान न हुये जे0एस0वाई0 लाभार्थियों का रिकार्ड भी उपलब्ध नही था।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते का विवरण निर्धारित प्रारुप/अभिलेख के रुप में उपलब्ध नहीं था। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान किये जाने वाले भोजन का अप्रैल 2015 से नवम्बर, 2015 तक कर वित्तीय रिकार्ड उपलब्ध नही कराया गया।
- वेस्ट मैनेजमेंट हेतु colour coded dustbins उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। पलेसेन्टा के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नही पाई गई।
- प्रसव के पश्चात लाभार्थियों को जे0एस0वाई0 प्रमाण पत्र दिया जा रहा था।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया था और एफ.बी.एन.सी. एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रोटोकाल पोस्टर भी

उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

- स्वास्थ्य इकाई में ड्रग लिस्ट डिस्पले थी पर विजबिल नही थी जिसे दोबारा पेन्ट कराने के लिए कहा गया।
- जिला महिला चिकित्सालय में शिकायत निवारण सेल गठित नही है एवं चिकित्सालय में सुझाव पेटिका उपलब्ध नही थी ।
- फैमिली प्लानिंग काउन्सलर द्वारा वार्ड में जाकर काउन्सलिंग की जा रही है एवं उसका प्रभाव लाभार्थियों पर हो रहा है। काउन्सलर को कार्यक्रम की अधिक जानकारी हेतु एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है।

➢ जिला पुरूष चिकित्सालय–महोबा

- पीडियाट्रिक वार्ड में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अन्तर्गत कलर कोडिंग बिन नही प्रयोग हो रही थी एवं उपलब्ध कोडिंग बिन में बायो वेस्ट की जगह कचरा जैसे– फाइबर ग्लास, गुटखा की पन्नी आदि भरी हुयी थी।
- ब्लड बैंक क्रियाशील नही था जिसें यथाशीघ्र क्रियाशील करने हेतु निर्देश दिये गये।
- एन0आर0सी0 में रोशनी बहुत ही कम थी जिसमें एल0ई0डी0 लगाने के निर्देश दिये गये। एन0आर0सी0 वार्ड में किसी भी प्रकार की आई0ई0सी0 प्रदर्शित नही थी एवं कार्यरत न्यूट्रीशियन काउन्सलर द्वारा भर्ती बच्चों की माताओं की काउनसिलिंग नही की जा रही थी।
- राज्य स्तर से जनपदों को प्रेषित एन0आर0सी0 संचालन हेतु दिशानिर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा था एवं अप्रैल से नवम्बर माह तक का कोई भी वित्तीय रिकार्ड उपलब्ध नही था।
- एन0आर0सी0 में 01 पीडियाट्रीशियन, 01 मेडिकल आफिसर, 01 न्यूट्रीशियन काउन्सलर, 04 स्टाफनर्स एवं 01 वार्ड ब्वाय के रूप में मानव संसाधन कार्यरत है।
- वर्ष 2015–16 में रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की मात्र बैठकें नियमित अन्तराल पर आयोजित नहीं की गयी हैं। बैठकों का आयोजन नियमानुसार नियमित किये जाने एवं कार्यवाही का विवरण निर्धारित प्रारुप में अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया।

➢ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–कबरई (नान एफ.आर.यू.)

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 03 मेडिकल आफिसर उपस्थित थे एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा अधीक्षक डॉ गंगाराम उपस्थित मिले। भ्रमण टीम द्वारा उनको भ्रमण पर आने का उददेश्य बताया गया। स्वास्थ्य इकाई भ्रमण के दौरान द्वारा

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ द्वारा कोई भी वित्तीय एवं भौतिक अभिलेख प्रदान नही कराया गया।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कबरई 06 बिस्तरे वाली इकाई है जिसमें 200 प्रसव का मासिक भार हैं।
- वेस्ट मैनेजमेंट हेतु colour coded dustbins उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। पलेसेन्टा के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नही पाई गई।
- लेबर रूम मे उपलब्ध 04 लेबर टेबल में से किसी भी टेबल में कैली पैड नही थे एवं दो लेबर टेबल के बीच में पार्टीशियन भी नही था। लेबर रूम में अटैच्ड बाथरूम क्रियाशील नही पाया गया एवं उसमें पानी की भी समुचित व्यवस्था नही थी।
- एम0एन0एच0 टूल किट मानकानुसार लेबर रूम में 05 ट्रे नही पाई गई। आर्टरी फॉर्सेप्स, प्लास्टिक बेबी ट्रे, विटामिन के, इन्जेक्शन Fortwin एवं इन्जेक्शन Hydrazline आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- लेबर रूम में केवल एक ट्रे उपलब्ध थी जिसमें एस्पायरी दवाईयां पायी गयी। जिसे तुरन्त हटाये जान के निर्देश दिये गये।
- लेबर रूम रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 न0 दर्ज नही किया जा रहा था एवं बी0एच0टी0 एवं पार्टोग्राफ भी नही भरा जा रहा था।
- औषधियों की स्टाक बुक में बैच संख्या एवं दिनांक लिखने की आवश्यकता है।
- डिलवरी रजिस्टर में भर्ती करने का दिनांक एवं समय लिखने की आवश्यकता है। अभिलेख को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
- लेबर कक्षम मे सक्शन मशीन, अम्बू बैंग एवं आपातकालीन ट्रे इत्यादि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 मातृ मृत्यु रिपोर्ट की गयी थी जिसमें 05 मातृ मृत्यु की समीक्षा कर ली गयी है जिसका रिकार्ड उपलब्ध था।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400/–एवं रू 1000/– की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एच.बी. एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लेबर रुम में कोई भी प्रोटोकाल पोस्टर एवं पर्दे इत्यादि नही लगे है।

➢ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–पनवाड़ी (एफ.आर.यू.)

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, पनवाडी 30 बिस्तरे वाली एफ0आर0यू0 इकाई थी जिसमे 60 से 70 प्रसव का मासिक प्रसव भार एवं अप्रैल, 2015 से दिसम्बर तक का 602 प्रसव भार पाया गया। इकाई में अप्रैल से दिसम्बर तक केवल 02 सेजिरियन प्रसव करवायें गये थे।
- आई0ई0सी0 सामग्री के प्रदर्शन की आवश्यकता है। लेबर रूम के निकट के शौचालय में सफाई एवं पानी की व्यवस्था की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकनुसार अभिलेख उपलब्ध नही पाए गए। एम0एन0एच0 टूल किट मानकानुसार लेबर रूम में 07 ट्रे नही पाई गई। लेबर रूम में दो लेबर टेबल के मध्य स्क्रीन पार्टिशन नही पाया गया।
- आपरेशन थियेटर में एस्पायरी डेट की स्प्रिट पायी गयी जिसे तुरन्त हटवाया गया एवं लेबर रूम तथा ओटी में ड्रग स्टाक बुक बनाकर एस्पायरी दवाईयों के रिकार्ड अपडेशन के निर्देशित किया गया।
- बेड हेड टिकट पुराने फार्मेट में ही भरा जा रहा था। पार्टोग्राफ उपलब्ध नही पाया गया एवं स्टाफ को पार्टोग्राफ भरना भी नही आता था। तैनात स्टाफ नर्स को आक्सीजन सिलेडर की प्रयोग की जानकारी एवं नवजात शिशुओं को विटामिन के इन्जेक्शन के प्रयोग के बारे में जानकारी नही पाई गई।
- औषधि स्टाक, जे0एस0एस0के0 के अभिलेखों का रिकार्ड अपूर्ण एवं रख रखाव खराब पाया गया। पलेसेन्टा के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नही पाई गई।
- OCPs, EC pill – IUCDs उपलब्ध नही पाई गई। रक्त संग्रह अक्रियाशील है क्योकि मात्र एक फ्रिज उपलब्ध है।
- लेबर रूम में एन0बी0सी0सी0 क्रियाशील था एवं इकाई पर उपलब्ध 02 रेडियन्ट वार्मर क्रियाशील पाये गये। ए0एन0एम0 का एस0बी0ए0 प्रशिक्षण नही हुआ है जिस कारण वह बी0एच0टी0 एवं पार्टोग्राफ के बारे में अनभिज्ञ थी।
- डिलीवरी रुम में कोई भी प्राटोकाल फॉलो नही किया जा रहा था। किसी भी टेबल पर शीट एवं कैलिसपैड नही लगा था। टेबलो के बीच पर्दे भी नही लगे थे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–जैतपुर

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतपुर 06 बिस्तरे वाली इकाई थी जो जनपदीय मुख्यालय से 40 कि0मी0 दूर स्थापित है। जिसमे लगभग 65 से 70 प्रसव का प्रत्येक माह का प्रसव भार है।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400/– एवं रू 1000/– की धनराशि का वितरण का रिकार्ड अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अप्रैल से नवम्बर तक 765 प्रसव दर्ज थे लेकिन 765 प्रसवों के सापेक्ष 245 प्रसवों का जे0एस0वाई0 योजना के तहत भुगतान नही किया गया था।
- डिलीवरी रुम में कोई भी प्राटोकाल फॉलो नही किया जा रहा था। किसी भी प्रसव टेबल पर शीट एवं कैलिसपैड नही लगा था। टेबलो के बीच पर्दे भी नही लगे थे।
- लेबर रूम के टायलेट की साफ सफाई एवं पानी की उपलब्धता की आवश्यता है एवं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रबनधन की भी कोई ब्यवस्था नही है। भ्रमण दल द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रबन्धन की ब्यवस्था हेतु एजेंसी से अनुबन्ध करने के लिए निर्देश दिये गये।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एफ.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- प्रसव के पश्चात लाभार्थियों को जे0एस0वाई0 प्रमाण पत्र नही दिया जा रहा था।

➢ वी.एच.एन.डी. सत्र उपकेन्द्र–मगारिया

- उपकेन्द्र मगारिया में स्थापित उपकेन्द्र में आयोजित वी.एच.एन.डी. सत्र का अवलोकन किया गया। सत्र में टीकाकरण किया जा रहा था एवं ड्यू लिस्ट अद्यतन नही थी। आशा व ए0एन0एम0 को सत्र के आयोजन से पूर्व ड्यू लिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वैक्सीन तथा डाइल्यूएंट चार आइस वाले वैक्सीन कैरियर में जिपर युक्त थैली के अंदर उपलब्ध पाए गए।
- आयोजित सत्र में उपलब्ध सभी वैक्सीन एवं उनके डाइल्यूएंट उपलब्ध पाए गए। ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के 4 मैसेज भी लाभार्थियों को दिये जा रहे थे। समस्त रिकार्ड यथावत् भरे जा रहे थे।

- उपकेन्द्र में आई0ई0सी0 का अच्छा प्रदर्शन था। ए0एन0एम0 को सुझाव दिया गया कि वी.एच.एन.डी सत्र हेतु एक फ्लैक्स बैनर बनवा ले जिससे जहॉ भी सत्र आयोजित हो तो उसको लगाया जा सके।
- ए0एन0एम0 द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर, वजन, हिमोग्लोबिन इत्यादि का परीक्षण किया जा रहा था।

(अरविन्द सिंह)	**(अरविन्द त्रिपाठी)**	**(कर्नल मनोज यदु)**
पी0सी0,एम0एच0	**परामर्शदाता,प्रशिक्षण**	**महाप्रबन्धक,एम0आई0एस0**